

17/11/17

वकील प्राथमिक एवं प्राथमिक संस्थाएं इत्यादि। उन्हें संलग्न  
उद्योगों तक बार बार कावज लगावों पर कोई इतिहास  
नहीं आया। कुछ प्रकार के काम दायित्व अर्थात् प्रत्येक  
में खारिज किया गया है। जिसमें किंगडल शुभारंभ होकर  
गठन से कम से कम इत्यादि दायित्व है।

उपरोक्त अधिकारी  
मसूदा (अग्रिम)

